न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या– 3 / 3 / 2025 दायर दिनांक 03 / 01 / 2025

जीसीएमएस न0 –2025 / 67 निर्णय दिनांक 19 / 01 / 2026

वउंनवान

1. पप्पू पुत्र पूरन जाति जाटव निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर।

प्रार्थीयान

बनाम

1. मगन पुत्र घण्टोली जाति जाटव निवासी कठूमर तहसील कठूमर।
2. विज्जो पुत्र घण्टोली जाति जाटव निवासी कठूमर तहसील कठूमर
3. उर्मिला पुत्र दिनेशचन्द जाति जाटव निवासी कठूमर
4. राजकुमार पत्नी इन्दरसिंह जाति जाटव निवासी कठूमर तहसील कठूमर
5. हरदेई पुत्री घण्टोली जाति जाटव निवासी तहसील कठूमर

........................असल अप्रार्थीगण

6. प्रभू पुत्र पूरण जाति जाटव निवासी कठूमर तहसील कठूमर।
7. विमला पुत्री पूरण जाति जाटव निवासी कठूमर तहसील कठूमर।
8. चौथी पुत्र पूरण जाति जाटव निवासी कठूमर तहसील कठूमर।
9. दीपक पुत्र कुवंरपाल जाति जाटव निवासी कठूमर तहसील कठूमर।
10. विपिन पुत्र कुवंरपाल जाति जाटव निवासी कठूमर तहसील कठूमर।
11. संतोष पुत्र कुवंरपाल जाति जाटव निवासी कठूमर तहसील कठूमर।
12. ओमी पुत्र पूरण जाति जाटव निवासी कठूमर तहसील कठूमर।

......................तरतीवी अप्रार्थीयान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–श्री कृपादयाल राणा एडवोकेट–अधिवक्ताप्रार्थीयान

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 103 रकवा 0.84 है0, ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। जो प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रार्थी काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। एवं आराजी खसरा नम्बर 103 / 1953 रकबा 0.83 हैक्ट0, वाके ग्राम कठूमर जो आराजी असल अप्रार्थीगण की शामलात खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी के तरफ पश्चिम में रास्ता आम खसरा नम्बर 188 है असल

उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज0

अप्रार्थीयान की आराजी खसरा नम्बर 103/1953 आम रास्ते के संटवा है। जिसके तरफ पूर्व में आराजी खसरा नम्बर 103 प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण असल अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 103/1953 के तरफ दक्षिणी डौल के सहारे सहारे अपनी आराजी पर आते जाते है ट्रैक्टर, आदि निकालते है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिस कारण प्रार्थी अपने खेत तक आने जाने में परेशानी होती है। मना करने पर झगडा करते है। रास्ते पर आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।अतः आराजी खसरा नम्बर 103/1953 रकबा 0.83 वाके ग्राम कठूमर की दक्षिणी डौल के सहारे सहारे प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 103 वाके ग्राम कठूमर पर आने जाने एवं काश्त के लिये 20 फुट चौडा रास्ता दिलाया जाने का एवं प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को जरिये नोटीस तलब किया। अप्रार्थीयान संख्या 1 ला 5 दिनांक 19.01.2026 को वावजूद रजि0 डाक सूचना कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।एवं शेष तर0 अप्रार्थीगण से वादी अधिवक्ता द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया जिनको प्रार्थना पत्र 251 क से तर्क करा लिया गया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी हाल, नक्शा ट्रेस व नजरी नक्शा वाके ग्राम कठूमर पेश किये है।जो शामिल पत्रावली है।

उक्त प्रार्थना पत्र 251 क के सम्बन्ध में तहसीलदार कठूमर से मौका की विस्तृत वस्तुस्थति की रिपोर्ट तलब की गयी। जिसकी पालना में तहसीलदार कठूमर ने हाजिर अदालत होकर अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 19.11.2025 को पेश की। तहसीलदार कठूमर ने अपनी जांच रिपोर्ट में जिसके आराजी खसरा नम्बर 103/1953 वाके ग्राम कठूमर में से होकर रास्ता मौके पर चालू नहीं है तथा आराजी खसरा नम्बर 103 के लिए कोई भी पहूँच मार्ग राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं है। में मौके पर फसल खडी हुई। प्रार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 103/1953 में से होकर रास्ता स्वय की खातेदारी खसरा नम्बर 103 तक जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित प्रतित होता है प्रार्थीगण को इस रास्ते के अलावा अन्य कोई बैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में मुख्यरूप से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये आराजी खसरा नम्बर 103 रकवा 0.84 है0, ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित में स्थित है।जो प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रार्थी काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। जिस कारण प्रार्थी अपने खेत तक आने जाने में परेशानी होती है। रास्ते पर आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः आराजी खसरा नम्बर 103/1953 रकबा 0.83 वाके ग्राम कठूमर की दक्षिणी डौल के सहारे सहारे प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 103 वाके ग्राम कठूमर पर आने जाने एवं काश्त के लिये 20 फुट चौडा रास्ता दिलाया जाने का निवेदन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
...(अलवर) राज0

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड तहसीलदार कठूमर की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अनुसार प्रार्थी को 3 बिन्दु सिद्व करने है 1. प्रार्थी को आंत्यतिक आवश्यकता है 2. यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है 3. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है मुताबिक तहसीलदार कठूमर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के खेत व कुआ तक और कोई पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। कानून की मंशा के मुताविक प्रार्थी अपनी आराजी खसरा नम्बर 103 वाके ग्राम कठूमर में आने जाने हेतु अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 103/1953 वाके कठूमर में से तरफ दक्षिणी डैाल के सहारे–सहारे 20 फुट चौडा तथा 72 फुट लम्बाई का रास्ता सडक तक कायम कराने के अधिकारी पाये जाते है जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते है कि आराजी खसरा नम्बर 130 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में प्राथी को पहुँचमार्ग हेतु आराजी खसरा नम्बर 103/1953 वाके कठूमर में से 20 फुट चौडा एवं 72 फुट लम्बा रास्ता तरफ दक्षिण डौल के सहारे–सहारे सडक तक रास्ता में आने वाली भूमि की प्रचलित डी एल सी बाजार दर की दुगुनी राशि प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थीगण को भुगतान करवाकर राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन किया जावे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार कठूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)